



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-22082025-265612
CG-UP-E-22082025-265612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3729]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947

No. 3729]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 21 अगस्त, 2025

का.आ. 3834(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के पत्र के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में कटरा-अयोध्या धाम स्टेशन दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, निरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं०	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), अयोध्या को सक्षम प्राधिकारी, भूमि अर्जन (काला)	अयोध्या	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/247/Con/GD/DL./MUR-TRE/LA/Spl.Project]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Eastern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Gorakhpur, the 21st August, 2025

S.O. 3834(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989, (24 of 1989) the Central Government, hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special railway Project of “Doubling between Katra-Ayodhya Dham station” in the state mentioned in column (4) of the said table for the public.

SCHEDULE**Special Railway Project**

Sl. No.	Competent Authority	District	State
1	2	3	4
1.	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Ayodhya as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) Officer, Ayodhya	Ayodhya	Uttar Pradesh

[F. No. W/247/Con/GD/DL./MUR-TRE/LA/Spl.Project]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction